राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(21)ग्रावि/नरेगा/एमआईएस/2014 जयपुर, दिनांक : 12 NOV 2014

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर से डाटा एन्ट्री के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्तमान में समस्त प्रकार की डाटा एन्ट्री पंचायत समिति स्तर से की जा रही है। नरेगा सॉफ्ट में ग्राम पंचायत स्तर से भी डाटा एन्ट्री का प्रावधान उपलब्ध है। ग्राम पंचायत से पंचायत समिति तक विभिन्न प्रकार के documents, physically लाने ले जाने में लगने वाले समय के कारण डाटा एन्ट्री एवं भुगतान में अनावश्यक विलम्ब होता है।

डाटा एन्ट्री एवं भुगतान में होने वाले विलम्ब को दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी सभी ग्राम पंचायतें जहॉ Internet Connectivity एवं कम्प्यूटर उपलब्ध है, में नरेगा सॉफ्ट पर डाटा एन्ट्री का कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत के लोगिन से ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक द्वारा प्रारम्भ की जावे। ग्राम पंचायत स्तर से डाटा एन्ट्री हेतु आई.डी. एवं पासवर्ड पूर्व में उपलब्ध कराये जा चुके है।

इस हेतु निम्न कार्यवाही की जावे :–

- ग्राम पंचायत स्तर पर इन्टरनेट कनेक्शन लिया जावे।
- दिनांक 20.11.2014 तक ग्राम रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक को ब्लाक एवं जिला स्तर पर कार्यरत एम.आई.एस. मैनेजर्स द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षण दिलाया जाये।

प्रथम चरण में निम्न से संबन्धित डाटा एन्ट्री ग्राम पंचायत स्तर से कराया जाना प्रारम्भ किया जावे :–

- जॉबकार्ड हेतु रजिस्ट्रेशन
- जॉबकार्ड जारी करना
- જૉબકાર્ડ કા અપડેશન કરના।
- आधार सीडिंग, श्रमिक के खाता संख्या
- रोजगार की मांग
- कार्य का आवंटन
- कार्य समाप्ति के उपरान्त मस्टररोल में उपस्थिति
- कार्य की माप
- सामग्री बिल

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे एवं की गयी कार्यवाही से इस विभाग को भी अवगत कराये जाने का श्रम करावे।

भवदीय

11/11/14

(संजीव सिंह ठाकुर)
आयुक्त, ईजीएस एवं
सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3. निजी सहायक, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाड़मेर।
6. कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान सह विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त।
7. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एव उप सचिव, ईजीएस